राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर WR

रेफरेन्स एल.आर. संख्या 933/2004/पाली सरकार बनाम जोधपुरी व अन्य

अपील अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.02.2020	**एकलपीठ** **श्री मोडू दान देथा, सदस्य** **उपस्थित :** **श्रीमती पूनम माथुर, अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक प्रार्थी** **श्री लोकेन्द्र सिंह राणावत, उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी** **श्री ओ.एल. दवे** **श्री डूंगरसिंह राठौड़** } **अभिभाषक अप्रार्थीगण** **श्री योगेन्द्र सिंह** प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्नानुसार है कि तहसीलदार पाली ने जिला कलक्टर पाली को रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा पावा तहसील बाली की मिसल बंदोबस्त के खाता संख्या 525 के अनुसार गत खसरा नम्बर 32 कुल रकबा 663 किस्म भूमि खतौनी की खातेदारी डोली बनाम म0 श्री महादेव जी वाके देह के नाम थी जो कि गैर सायल ने नामान्तकरण संख्या 1, 127, 341 से अपने नाम करवा ली है। अतः नामान्तकरण को निरस्त करवाये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 के अंतर्गत रेफरेन्स राजस्व मण्डल अजमेर को भेजा जावे। अतिरिक्त कलक्टर पाली ने अपने आदेश दिनांक 28.10.2013 राजस्व विविध 374/99 द्वारा विवादित खसरों की तमाम भूमि 663 बीघा 1 बिस्वा को पुनः मड श्री महादेव जी वाके देह के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जावे की संस्तुति के साथ रेफरेन्स राजस्व मण्डल को प्रेषित किया। विद्वान वकुलाय उभयपक्ष की बहस सुनी। प्रार्थी के विद्वान अतिरिक्त/उप राजकीय अधिवक्तागण ने तर्क दिया कि जमाबंदी सम्वत 2015 में विवादित भूमि कुल किता 32 रकबा 663 बीघा 1 बिस्वा डोली बनाम मठ श्री महादेव जी महाराज वाके देह बहतमाम महन्त गुलाबपुरी चेला सेवापुरी गुसांई सा. देह के नाम दर्ज होकर खुदकाश्त दर्ज है। मंदिर मूर्ति की खुदकाश्त भूमि पुजारी/महन्त या अन्य किसी के नाम दर्ज नहीं हो सकती है पुजारी/महन्त की हैसियत प्रबंधक से अधिक कुछ भी नहीं है और प्रबंधक विधिनुसार परिवर्तनीय रहता है मंदिर का अनुदान शाश्वत है जो राज्य द्वारा प्रदत्त है। और मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है और इसकी भूमि पर काश्त या प्रबंधन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं हो सकते है। अतः रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर भूमि पूर्वानुसार मंदिर के नाम दर्ज रिकार्ड करने का आदेश प्रदान किया जावे। विद्वान अधिवक्तागण अप्रार्थीगण ने तर्क दिया कि मंदिर मूर्ति की भूमियों के बारे में 18.02.1952, 15.10.1955 एवं 01.01.1959, 01.11.1959 की स्थिति देखने योग्य रहती है प्रस्तुत प्रकरण में इन आधारभूत तारीखों	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	का अभिलेख ही प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे यह स्पष्ट हो कि इन आधारभूत तारीखों में भूमि मंदिर की खुदकाश्त थी किसी एकाकी त्रुटिपूर्ण जमाबंदी के आधार पर लम्बे समय से चले आ रहे खातेदारी अधिकारों को अवसानित करना विधि की मंशा नहीं है। प्रस्तुत भूमि डोली है और डोली जागीर अधिनियम तथा काश्तकारी अधिनियम के अनुसार जागीर के रूप में परिभाषित है और जागीर अधिनियम तथा काश्तकारी अधिनियम के अनुसार जागीरदार खुदकाश्त भूमि का खातेदार होगा। और यह भूमि 663 बीघा इस हेतु विहित सीमा से कम है विद्वान अधिवक्तागण ने तर्क दिया कि यह डोली मठ के नाम है मढ के नाम नहीं है दोनों ही शब्दों के अर्थ भिन्न है। मढ वह स्थान है जहां मूर्ति रखकर पूजा होती है और मठ वह स्थान है जो साधुओं का आश्रम है विशेषकर दसनामी और नाथ सन्यासियों का ऐसी स्थिति में मठ का स्वरूप आश्रम अर्थात साधु घर से है और साधु पवित्र तो होते हैं पर व्यक्ति होते है देवता नहीं होते है उनमें भी वंश परम्परा रहती है जो विवाह नहीं करने से पिता पुत्र के स्थान पर गुरू चेले के रूप में रहती है अतः जो नामान्तकरण भरे गये थे वह विधि के प्रवर्तन में सही भरे गये थे क्योंकि जागीर अधिनियम के प्रावधाननुसार हम खुदकाश्त रखने हेतु मुस्तहक थे तथा काश्तकारी अधिनियम की धारा 13 के प्रभाव स्वरूप खुदकाश्त के आसामी होने से खातेदार हो गये। मढ एवं मठ को भ्रांतिवश ही एक माना जा सकता है। वस्तुतः यह दो अलग बात है मठ साधुओं के रहने का स्थान है अर्थात उनका घर है तथा मढ देवमूर्ति को रखने का स्थान अर्थात गर्भगृह है। हम पुजारी नहीं है न ही सेवायत है भूमि मठ को दी हुई है और मठ साधुओं का निवास स्थान है उनका भी गुरू चेले एवं गुरू भाईयों का परिवारसम संगठन रहता है और व्यक्ति के रूप में भी आजीविका भी करते है नामान्तकरण सही हुए थे और विधि के प्रवर्तन में हुए थे अब इतनी अवधि और इतने परिवर्तन पश्चात गलत व्याख्या के आधार पर भूमि मूर्ति मन्दिर के नाम दर्ज करना विधिसम्मत नहीं है अपितु न्याय का उपहास है। अतः रेफरेन्स खारिज किया जावे। भू राजस्व अधिनियम की धारा 140 यह प्रावधान देती है कि वर्तमान रेकार्ड के सत्य की उपधारणा रहेगी जब तक कि वह अन्यथा खण्डित नहीं कर दिया जाता है। खण्डित विधिनुसार करना होगा। प्रार्थी को अपना केस स्वयं साबित करना होगा। वह अप्रार्थी की किन्हीं कमजोरियां या सुस्ती का लाभ नहीं उठा सकता। प्रार्थी का कथन यह है कि विधितः आराजी उसके नाम बनी रहनी चाहिए थी तो वह उक्त चारों संदर्भित तारीखों का अभिलेख पेश करे बाद की किसी एकाकी और त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि का वह लाभ नहीं उठा सकता। हम तो प्रारम्भ से ही टिनेन्ट रहे है अतः रेफरेन्स अस्वीकार किया जावे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान वकुलाय के कथनों पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थना पत्र यह है कि भूमि मंदिर के नाम दर्ज रिकार्ड होनी चाहिये। जिसका आधार यह लिया गया है कि जमाबंदी सम्वत 2015 में भूमि डोली बनाम मठ श्री महादेव जी महाराज वाके देह के खुदकाश्त में दर्ज रिकार्ड थी जो रेफरेन्स अनुसार नामान्तकरण संख्या 1, 127 और 341 के द्वारा अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड हुई। इस कारण भूमि मंदिर के नाम दर्ज की जावे। अप्रार्थीगण का आक्षेप है कि भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा जमीदारी एवं बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम की संदर्भित तारीखों का अभिलेख पेश नहीं हुआ है और 2015 की जमाबंदी के एकाकी अभिलेख के आधार पर खातेदारी अधिकारों का अवसान नहीं होगा। प्रार्थी को अपना केस स्वयं साबित करना होगा और प्रार्थी ने अपने अधिकार को दर्ज कराना चाहा है। सरकार स्वयं का सिवाय चक का तो इन्द्राज नहीं चाह रही है पर अपने अनुदान की अक्षुण्ता को बनाये रखना चाहती है। तथा अभिलेख को विधिअनुसार स्वत्व एवं अधिकार प्रविष्टि का करवाना चाहती है। यहां यह स्पष्ट करना उचित होगा कि डोली भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत जागीर के रूप में परिभाषित है ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण जमीदारी एवं बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के प्रावधानों से अप्रभावित है किन्तु भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों से प्रभावित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5 में जागीरदार, जमीदार, बिस्वेदार परिभाषित किये हुए है उनके अवलोकन से भी प्रकरण जागीर की भूमि का है। जहां तक मठ एवं मढ शब्दों का भाषायी शास्त्रीय अर्थ का संबंध है इस संबंध में आधिकारिक पारिभाषिक शब्दावली प्रस्तुत नहीं हुई है और राजस्व विधि में मठ एवं मढ शब्द अलग से परिभाषित नहीं है किन्तु जमाबंदी के इन्द्राजात को देखने से प्रकट होता है कि यह डोली थी और राजस्व विधि में डोली जागीर भूमि के रूप में सूचीबद्ध है। महन्त साधुओं के मुखिया का नाम इंगित करता है जो प्रबंधक की स्थिति को प्रकट करता है। जमाबंदी में महादेव जी का नाम है जो निश्चय ही शिव का एक नाम है और ऐसी स्थिति में डोली की स्थिति मूर्ति मन्दिर के नाम से हिन्दु मूर्ति मन्दिर को दी हुई जागीर के रूप में उभरती है जो खुदकाश्त दर्ज है महन्त प्रबंधक के अतिरिक्त और कोई हैसियत नहीं रखता है। दसनामियों के आश्रमों में महादेव जी अर्थात शिव मंदिर रहते है। स्पष्ट है कि भूमि मूर्ति मन्दिर से संबंधित रही है। मंदिर मूर्ति की खुदकाश्त भूमि पुजारी/महन्त या अन्य किसी के	

नाम दर्ज नहीं हो सकती है पुजारी/महन्त की हैसियत प्रबंधक से अधिक कुछ भी नहीं है और प्रबंधक विधिनुसार परिवर्तनीय रहता है मंदिर का अनुदान शाश्वत है जो राज्य द्वारा प्रदत्त है। और मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है और इसकी भूमि पर काश्त या प्रबंधन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं हो सकते है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अनुसार मंदिर मूर्ति की भूमि पर काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होंगे। जहां तक उक्त अधिनियमों की संदर्भित तिथियों का प्रश्न है उन तिथियों में यदि भूमिधारी के कॉलम में मंदिर था तथा भूमि मंदिर की खुदकाश्त नहीं थी और काश्तकार अर्थात आसामी पुजारी से भिन्न व्यक्ति था तो ऐसी स्थिति में आसामी को खातेदारी अधिकार उत्पन्न हो सकते थे किन्तु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के पश्चात मंदिर मूर्ति के शाश्वत नाबालिग होने से धारा 46 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव के कारण किसी व्यक्ति को काश्त करने के आधार पर मंदिर मूर्ति की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते है क्योंकि धारा 46 के कारण मंदिर की भूमि किसी अन्य द्वारा जोतने पर धारा 45 के प्रावधानों से छूट प्राप्त है और टिनेन्सी की शर्तों का इस कारण उल्लंघन नहीं करती है। और मंदिर मूर्ति खातेदार बनी रहती है।

स्पष्ट है कि भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत उनके प्रावधानों के अनुसार मंदिर मूर्ति की भूमि पर भी विधिनुसार उपयुक्त होने पर आसामी को खातेदारी अधिकार मिलना प्रावधानित है किन्तु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पश्चात धारा 46 के प्रभाव स्वरूप कोई भी आसामी शाश्वत नाबालिग मंदिर मूर्ति की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते है। ऐसी स्थिति में रेफरेन्स स्वीकार करने हेतु जमाबंदी 2015 के इन्द्राजात पर्याप्त है।

ऐसी स्थिति में 2015 की जमाबंदी में मंदिर मठ के इन्द्राजातों के स्थान पर उनके आधार पर पश्चात में आये सभी इन्द्राजात अविधिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते है तथा रेफरेन्स अधीन भूमि कुल किता 32 कुल रकबा 633 बीघा 5 बिस्वा पूर्वानुसार डोली बनाम मढ श्री महादेव जी महाराज वाके देह के नाम दर्ज रिकार्ड करने के आदेश दिये जाते है तथा अप्रार्थीगण एवं उनके पूर्वाधिकारियों के नाम आये इन्द्राज निरस्त किये जाते हैं। उपरोक्तानुसार रेफरेंस स्वीकार किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडू दान देथा)
सदस्य

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर WR

रेफरेन्स एल.आर. संख्या 933/2004/पाली सरकार बनाम जोधपुरी व अन्य

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए